ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सपौरी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती चैन्चला देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश कुमार	01.04.2022 से 18.05.2023
2.	श्री कुलदीप सिंह	19.05.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	1.59
2)	6.1	अनुदान का उपयोग हेतु शेष	27.02
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.16
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.02
5)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	3.47
6)	8.2	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.71
7)	8.3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.10
8)	9.1	सचिव / प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद भुगतान करना	0.72
9)	9.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.50
10)	9.3	तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान	0.27
11)	9.4	मनरेगा शीर्ष से राशि का मजदूरी का अधिक भुगतान	0.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018

क्रम संख्या	पैरा संख्या	निर्णीत/ अनिर्णीत	विवरण
1.	पैरा-5	अनिर्णीत	
2.	पैरा- 5.2	अनिर्णीत	

3.	पैरा- 6.2	अनिर्णीत	
4.	पैरा-7.2	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-22	अनिर्णीत।	

2 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	निर्णीत/ अनिर्णीत	विवरण
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹5400/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 115230 दिनांक 13.06.2022 द्वारा कर ली गई है) (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 46)
2.	पैरा-4	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (क) में पुन: प्रारूपित।
3.	पैरा-5	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-6 (i)	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-6 (ii)	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
7.	पैरा- 8	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुन: प्रारूपित।
8.	पैरा-9	अनिर्णीत	
9.	पैरा-10	अनिर्णीत	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत	
11.	पैरा-12	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1

			में पुन: प्रारूपित।
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-19	अनिर्णीत	
19.	पैरा-20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
20.	पैरा-21	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

गत अंकेक्षण तक कुल अनिर्णीत पैरें	33
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
कुल	**42**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	6
31.03.2024 तक कुल अनिर्णीत पैरे	36

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.2024 से 29.04.2024 तक ग्राम पंचायत सपौरी के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	07/2022	07/2022

2023-24	01/2024	07/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹3600/- आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 394/2024 दिनांक 29/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत सपौरी द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित नैहरियां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 466284 दिनांक 02/05/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत सपौरी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	1467496.47	2161125.3	3628621.77	1390964.3	2237657.47
2	2023-24	2237657.47	2476408.2	4714065.67	2012064.2	2702001.47

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सपौरी के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹159054.53** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2702001.47
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट क-1**)	**2859073.00**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	1983.00
4)	**योग (2+3)**	**2861056.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**159054.53**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	HP Gramin Bank Nehri	88690100001092	0.00
2	HP Gramin Bank Nehri	88690100003416	0.00
3	KCCB Nehri	20009003355	1184120.00
4	UCO Bank Nehri	11900100000238	0.00
5	HP Gramin Bank Nehri (15th fc)	88691100000080	1674953.00
		योग	**2859073.00**
		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	1983.00
		योग (1+2)	**2861056.00**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण

प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹1.59 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹159054.53** का अन्तर पाया गया। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 376/2024 दिनांक 20/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (4-3) (₹)**	**अंतर का कारण**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1038727.47	1186103.00	147375.53	
2	15वां वित्तायोग	1663274.00	1674953.00	11679.00	दिनांक 02/03/24 को बैंक द्वारा ₹11679 ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसका दिनांक 31.03.24 तक आय पक्ष में लेखांकन नहीं किया गया।
			कुल अंतर	**159054.53**	

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 29/04/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹27.02 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट क** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹**2702001.47 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर

किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 29/04/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन

करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹15550/- (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	8750	43500	52250	00	52250
2023-24	52250	43500	95750	80200	15550

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹2300** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2300
2	2023-24	00
	योग	**2300**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 375/2024 दिनांक 20/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा ₹1000 से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल ₹1000 तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 384/2024 दिनांक 23/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में इस बारे ध्यान रखा जाएगा | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि (₹)
1.	06/2023	2792
2.	07/2023	3192
3.	08/2023	3192
4.	10/2023	1872
5.	11/2023	1872
6.	12/2023	1872
7.	01/2024	15772
8.	02/2024	15637
9.	03/2024	1983

8.1 ₹3.47 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण

सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2022 व 07/2023 में **₹346636** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386/2024 दिनांक 23/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	55	07/22	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
2	मनरेगा	56	07/22	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
3	मनरेगा	57	07/22	2000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	28320
4	मनरेगा	121	07/23	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
5	मनरेगा	123	07/23	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
6	मनरेगा	124	07/23	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
7	मनरेगा	144	07/23	1000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	14159
8	मनरेगा	146	07/23	230 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति	3257

				पेवर	
9	मनरेगा	154	07/23	3250 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	46020
10	मनरेगा	155	07/23	3000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	42480
				योग	**346636/-**

8.2 ₹2.71 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 07/2023 में **निम्न विवरणानुसार ₹270710** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 393/2024 दिनांक 29/04/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी। अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य 07/23	655 03.12.2022	सत्तर दीन पुत्र नेक मोह.	रेत, बजरी	4790
2	मनरेगा	शून्य 07/23	123 07.11.22	M/s Sai Aanand Traders Lohara	पेवर	42480
3	मनरेगा	शून्य 07/23	124 08.11.22	M/s Sai Aanand Traders Lohara	पेवर	42480
4	मनरेगा	शून्य 07/23	144 10.11.22	M/s Sai Aanand Traders Lohara	पेवर	14159
5	मनरेगा	शून्य	146	M/s Sai Aanand	पेवर	3256

		07/23	10.11.22	Traders Lohara		
6	मनरेगा	शून्य 07/23	654 23.12.22	सत्तर दीन पुत्र नेक मोह.	रेत, बजरी	42400
7	मनरेगा	शून्य 07/23	657 10.01.23	सत्तर दीन पुत्र नेक मोह.	रेत, बजरी	32645
8	मनरेगा	शून्य 07/23	154 28.03.23	M/s Sai Aanand Traders Lohara	पेवर	46020
9	मनरेगा	शून्य 07/23	155 30.03.23	M/s Sai Aanand Traders Lohara	पेवर	42480
					योग	**270710**

8.3 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.10 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार ₹110445** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392/2024 दिनांक 29/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अत: इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	09 07/22	15 07.06.22	Spice Computers Amb	कंप्यूटर की सामग्री	1900
2	मनरेगा	शून्य 07/22	970 06.01.22	Rajeev Jaswal Ganghoti	रेत, बजरी इत्यादि	33500
3	मनरेगा	शून्य 07/23	654 23.12.22	सत्तर दीन पुत्र नेक मोह.	रेत, बजरी	42400

4	मनरेगा	शून्य 07/23	657 10.01.23	सत्तर दीन पुत्र नेक मोह.	रेत, बजरी	32645
					योग	**110445/-**

9.1 सचिव / प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके ₹0.72 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित शीर्ष) की रोकड़ बही के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव / प्रधान द्वारा **निम्न वर्णित ₹72059 की** मजदूरी / कार्यालय व्यय के लिए भुगतान चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹**1000 से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है| अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 383/2024 दिनांक 20/04/2024 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त नगद भुगतान गलती से किए गए थे तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)	विवरण
1	5	28.04.23	29528	मजदूरी
2	14	03/06/23	1496	बिजली बिल
3	22	02/09/23	2552	सीमेंट अदायगी
4	25	02/09/23	2348	मजदूरी
5	29	02/09/23	1480	चायपान
6	31	02/09/23	2050	चायपान
7	34	08/09/23	1540	कार्यालय व्यय
8	36	30/10/23	2600	चायपान
9	55	10/02/24	2785	कार्यालय व्यय
10	57	26/02/24	2400	चायपान
11	58	26/02/24	2000	कार्यालय व्यय
12	60	05/03/24	1980	ढुलाई
13	63	13/03/24	1600	ढुलाई
14	64	13/03/24	2000	बोर्ड लिखाई
15	65	22/03/24	6500	कार्यालय व्यय
16	66	22/03/24	1200	चायपान

17	67	25/03/24	2000	JCCB की आदयगी
18	68	25/03/24	3000	चायपान
19	69	30/03/24	3000	ढुलाई
		योग	**72059/-**	

9.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.50 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹49983** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385/2024 दिनांक 23/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: खनन के वैध स्त्रोत को सुनिश्चित किया जाए तथा मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार **₹49983** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.3 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹0.27 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस - 17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **निम्नलिखित विवरणानुसार** मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹27470** की मजदूरी का माप पुस्तिका में कार्य मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी तथा न ही मस्ट्रोल पर माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या उल्लेखित थी जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ माह	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)	मस्ट्रोल संख्या
1	शून्य 07/22	884	02.07.22 से 15.07.22	Land Dev. Nirmla Devi W/o Rattan Chand	13992	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या 4783 का पृष्ठ संख्या 86 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ दर्ज थी।
2	शून्य 07/22	885	02.07.22 से 15.07.22	Land Dev of Vipan Kumar S/o Baldev Singh	6996	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या 4783 का पृष्ठ संख्या 85 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ दर्ज थी।
3	शून्य 07/23	1233	01.07.23 से 15.07.23	C/O Moksh Dham Vill. Gangoti Ward No.2	6482	मस्ट्रोल में माप पुस्तिका संख्या अंकित नहीं किया गया था।
				योग	**27470**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 387/2024 दिनांक 23/04/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या- 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिका में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। अतः माप पुस्तिका में कार्य के मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकास कार्यों का मूल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 मनरेगा शीर्ष से ₹0.15 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 07/2022 व 07/2023 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य C/O Rasta Main road se Raffik Moh. हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 1015,1570,1576,1623,1625, 2348, 2351 व 3351 द्वारा ₹5088, ₹1696, ₹13144, ₹1696, ₹2756, ₹20988, ₹2756, ₹12296, ₹2120, ₹2120 व ₹4876 **कुल ₹69536** का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 8272 के पृष्ठ संख्या 12 से 14 पर **₹55026** का किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा **₹14510** (69536-55026) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था । अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391/2024 दिनांक 29/04/2024 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 371/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 370/2024 दिनांक 19/04/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01 दिनांक 29/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

3446-3450 .18 JUL 2024 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)46/2019—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUL 2024
का0/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

परिशिष्ट "क"　　　　पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1467496.47	2161125.3	3628621.77	1390964.3	2237657.47
2	2023-24	2237657.47	2476408.2	4714065.67	2012064.2	2702001.47

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	565427.47	502014	1067441.47	517153	550288.47
2	2023-24	550288.47	1131710	1681998.47	643271	1038727.47

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	902069	895688	1797757	110388	1687369
2	2023-24	1687369	210868	1898237	234963	1663274

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	763423.3	763423.3	763423.3	0
2	2023-24	0	1133830.2	1133830.2	1133830.2	0

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2702001.47
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**2859073.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	1983.00
4)	**योग (2+3)**	**2861056.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**159054.53**
	Say off	**159055.00**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	HP Gramin Bank Nehri	88690100001092	0.00
	HP Gramin Bank Nehri	88690100003416	0.00
	KCCB Nehri	20009003355	1184120.00
	UCO Bank Nehri	11900100000238	0.00
	HP Gramin Bank Nehri (15th fc)	88691100000080	1674953.00
		योग	**2859073.00**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	1983.00
		योग (1+2)	**2861056.00**

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 4.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	8750	43500	52250	00	52250
2023-24	52250	43500	95750	80200	15550

परिशिष्ट ग   पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत सपौरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 दौरान विवाह पंज़ीकरण के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्र०स०	नाम	विवाह की तिथि	पज़ीकरण की तिथि	रसीद सख्या	राशि
1	सौरभ महाजन पुत्र सुरिंदर महाजन	23.04.2022	12.05.2022	48780	25
2	फ़तेह सिंह पुत्र तेजस्वीर सिंह	09.05.2022	20.05.2022	48781	25
3	जावेद अक्तर पुत्र रफ़ी मोहम्मद	09.05.2022	13.06.2022	48783	400
4	अश्वनी कुमार पुत्र राज कुमार	23.06.2022	19.07.2022	48784	200
5	शशिपाल पुत्र हरी चन्द	25.05.2022	23.07.2022	48785	400
6	लकी पुत्र वत्तन सिंह	20.07.2022	22.08.2022	48789	400
7	नरिन्दर पुत्र अशोक कुमार	05.12.2022	26.12.2022	48804	200
8	संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार	08.12.2022	26.12.2022	48805	200
9	अमित चौहान पुत्र अशोक कुमार	14.12.2022	02.01.2023	48806	50
10	गौरव शर्मा पुत्र लेख राज	31.01.2023	13.02.2023	48807	200
11	मोहम्मद साहिल पुत्र फ़तेह दीन	22.02.2023	10.03.2023	48808	200
				योग	**2300**

परिशिष्ट 9.2 पैरा संख्या 41 में संदर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत सपौरी, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

क्र स	योजना	वाउचर संख्या	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(क्युबिक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनो में)	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	50	नि रास्ता राजेश पाल से अवादी बलदेव सिंह वार्ड नंबर 4	253	10.01.2022	सुरिंदर पाल पुत्र बसंत सिंह	बजरी	13.87	1.52	21.0824	80	1686.592
							रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
२	मनरेगा	शून्य	मोक्ष धाम गांव गंगोटी	977	08.05.2022	राजीव जसवाल पुत्र कमल सिंह	रेत	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
							बजरी	16.99	1.52	25.8248	80	2065.984
3	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता विजय कुमार, अमन ठाकुर इत्यादि	970	06.01.2022	राजीव जसवाल पुत्र कमल सिंह	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
							बजरी	25.48	1.52	38.7296	80	3098.368
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	8	निर्माण चार दीवार मोक्ष धाम सपौरी वार्ड नंबर 4	820	शून्य	अरविन्द जसवाल पुत्र किशोर सिंह	रेत	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
							बजरी	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
5	15वें वित्तायोग	2	निर्माण रास्ता गोहर रीना ईशान इत्यादि वार्ड नंबर 4	256	04.03.23	सुरिंदर पाल पुत्र बसंत सिंह	रेत	5.37	1.62	8.6994	80	695.952
							बजरी	7.64	1.52	11.6128	80	929.024
6	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता मेन रोड से रफीक मो० के घर तक	654	23.12.22	सत्तर दीन पुत्र नेक मो०	बजरी	28.31	1.52	43.0312	80	3442.496
							रेत	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
7	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता मेन रोड से रफीक मो० के घर तक	657	10.01.23	सत्तर दीन पुत्र नेक मो०	रेत	15.57	1.62	25.2234	80	2017.872
							बजरी	18.97	1.52	28.8344	80	2306.752

8	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता शेर दीन पुत्र न्याज दीन	979	10.06.23	राजीव जसवाल पुत्र कमल सिंह	रेत	25.48	1.62	41.2776	80	3302.208
							बजरी	28.31	1.52	43.0312	80	3442.496
9	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता मेन रोड से कर्म चन्द	660	28.03.23	सत्तर दीन पुत्र नेक मो०	रेत	8.49	1.62	13.7538	80	1100.304
							बजरी	9.91	1.52	15.0632	80	1205.056
10	मनरेगा	शून्य	निर्माण रास्ता ब्राह्मण से शिव मन्दिर	807, 812	15.11.23, 13.12.23	अरविन्द जसवाल पुत्र किशोर सिंह	रेत	26.9	1.62	43.578	80	3486.24
							बजरी	33.98	1.52	51.6496	80	4131.968
									योग	**499.824**	**80**	**39985.95**
											25%पेनल्टी	**9996.488**
											कुल योग	**49982.44**